

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम रामरामायण

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम
केस संख्या- टी.आई -30/18

04/3/2019

पत्रावली आज वास्ते आर्देश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दोनों प्रार्थना पत्रों टी.आई. 30/2018 उनवानी जगदीश बनाम रामरामायण व टी.आई. 36/2019 अशोक बनाम जगदीश का मनन कर पाया कि दोनों में सभी पक्षकार समान हैं व विवादित भूमि ग्राम चेतावाला तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 3 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नं. 2 रकबा 088 हैक्टेयर, खसरा नं. 3 रकबा 090 हैक्टेयर, खसरा नं. 4 रकबा 002 हैक्टेयर, खसरा नं. 5 रकबा 126 हैक्टेयर समान हैं। प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया व वास्ते बहस पेश हुये। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 30/2018 व प्रतिवादी/अप्रार्थी 3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ने प्रार्थना पत्र 36/2019 में विवादित उक्त लिखित खसरा नं. में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। अपनी बहस में भी वादी/प्रार्थी व प्रतिवादी/अप्रार्थी 3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ने टी.आई. हेतु राहगती दी। वादी ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी/वादी ने लिखित बहस पेश कर पुनः निवेदन किया कि अप्रार्थी दिन्सी भी तरह से प्रार्थी को उसके कब्जेकाशत व उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः तावावद उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावलियों का मनन कर पाया कि प्रकरण दिनांक 06.09.2013 से विवादाधीन है। इस दौरान कई बार मारपीट इत्यादी की जानकारी भी आयी है। जिसके सबूत पत्रावली में शामिल हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वादी की बहुल्यता बढ़ेगी व प्रार्थी /अप्रार्थी की क्षति भी हो सकती है अतः न्यायालय विवादित भूमि ग्राम चेतावाला तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 3 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नं. 2 रकबा 088 हैक्टेयर, खसरा नं. 3 रकबा 090 हैक्टेयर, खसरा नं. 4 रकबा 002 हैक्टेयर, खसरा नं. 5 रकबा 126 हैक्टेयर में उभयपक्षों को वाद के निरतारण तक मौका व राजस्व रिफॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर दस नंबर से कम होकर दाखिले दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम